(1)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–98 / 2015–16

मो0 शमसुद्दीन वगैरह बनाम मो0 मोफीजुद्दीन

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

31/5/18

आदेश

आवेदकगण के द्वारा विपक्षी के नाम से बिहटा अंचल अंतर्गत मौजा–दौलतपुर सिमरी थाना नं0 18 में विभिन्न खाता, खेसरा के रकवा 1.39 एकड़ के लिए कायम जमाबंदी सं0 $\frac{434}{579}$ को रद्द करने हेतु दायर किया गया है।

इस वाद के पक्षकार निम्नानुसार है :–

प्रथम पक्ष :

1. मो0 शमसुद्दीन, पिता स्व0 समीउद्दीन
2. मो0 मिन्हाजुद्दीन, पिता स्व0 सरोजुद्दीन
3. मो0 जमील उद्दीन, पिता स्व0 नेहाल उद्दीन
4. अजीजुद्दीन, पिता जहीरउद्दीन, सभी ग्राम–सिमरी, थाना–बिहटा, जिला–पटना

द्वितीय पक्ष

1. मो0 मोफीजुद्दीन, पिता स्व0 सेराजुद्दीन, ग्राम–सिमरी, थाना–बिहटा, जिला–पटना

विवादित भूखण्ड का विवरण

अंचल	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
1	2	3	4	5	6
बिहटा	दौलतपुर सिमरी	18	166 746 782 874 885	572 513 514 899 896 1023 752 2007 2004 2075	1.39 एकड़

आवेदक का कहना है कि

(1) विवादित भूखण्ड मो0 सईद की सम्पति थी। मो0 सईद अपने पीछे पाँच पुत्र मो0 नईमुद्दीन, मो0 समीउद्दीन, मो0 सेराजुद्दीन, मो0 नेहालुद्दीन एवं मो0 जहीरूद्दीन को छोड़कर स्वर्ग सिधार गये। आवेदकगण मूल रैयत के वंशज है।

(2) मो0 नईमुद्दीन की निःसंतान मृत्यु हो गयी। उनकी विधवा बीबी

हस्तुन्निसा के द्वारा एक भूखण्ड के दाखिल खारिज हेतु अंचलाधिकारी, बिहटा को आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 123/1985–86 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। बीबी हस्तुन्निसा के द्वारा अंचलाधिकारी, बिहटा के दिनांक 07.01.1986 के आदेश के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 $\frac{107/85-86}{31/86-87}$ दायर की गयी। अपील लम्बित रहते हुए बीबी हस्तुन्निसा की मृत्यु हो जाने के कारण उनके स्थान पर मो0 मोफीजुद्दीन के प्रतिस्थापित किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 09.09.1986 के आदेश से अपील अस्वीकृत कर दी गयी। तत्पश्चात् अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय में दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद सं0 126/1986–87 दायर किया गया। अपर समाहर्ता, पटना के द्वारा दिनांक 17.07.1987 के आदेश से पुनरीक्षण आवेदन निरस्त कर दिया गया।

अपर समाहर्ता, पटना के द्वारा पुनरीक्षण वाद सं0 126/1986–87 में पारित आदेश के विरूद्ध मो0 मोफीजुद्दीन के द्वारा उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 5467/1987 दायर की गयी, परन्तु दिनांक 19.01.1988 को याचिका वापस ले ली गयी।

(3) मो0 मोफीजुद्दीन के द्वारा अंचलाधिकारी, बिहटा के कार्यालय में दाखिल खारिज हेतु एक अन्य आवेदन दिया गया तथा दाखिल खारिज वाद सं0 118/1985–86 के अन्तर्गत दिनांक 31.08.1985 को दाखिल खारिज की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी। उक्त दाखिल खारिज वाद सं0 118/1985–86 में आवेदक के पूर्वज को कोई नोटिस नहीं दी गयी।

(4) दिनांक 31.08.1985 के आदेश के संबंध में जानकारी मिलने पर आवेदकगण के पूर्वजों के द्वारा विविध वाद सं0 04/2001–02 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा सुनवाई के पश्चात दिनांक 17.06.2002 को आवेदकगण के पूर्वज के पक्ष में आदेश पारित कर अंचलाधिकारी, दानापुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया।

(5) भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के दिनांक 17.06.2002 के आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा विविध वाद सं0 04/2001–02 में दिनांक 11.09.2003 को दाखिल खारिज वाद सं0 118/1985–86 से कायम जमाबंदी को खारिज करते हुए चार फरीकैन के बीच बराबर–बराबर हिस्सा की जमाबंदी कायम करने का आदेश दिया गया।

(6) आवेदकगण को ईधर सूचना मिली की विपक्षी के नाम से अभी भी लगान रसीद निर्गत हो रही है, जबकि विपक्षी को प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई भी स्वत्व एवं दखल नहीं है तथा आवेदकगण के नाम से लगान रसीद भी निर्गत हो रही है।

(7) विपक्षी मो0 मोफीजुद्दीन के नाम से कायम जमाबंदी सं0 $\frac{434}{579}$ को अवैध बताते हुए रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) मो0 मोफीजुद्दीन की जमाबंदी सं0 $\frac{434}{579}$ पर 1.39 एकड़ के लिए निर्गत वर्ष 2014–15 की लगान रसीद

(2) दाखिल खारिज वाद सं0 123/1985–86 का आदेश

(3) दाखिल खारिज अपील वाद सं0 $\frac{107/85-86}{31/86-87}$ का आदेश

(4) पुनरीक्षण वाद सं0 126/86–87 का आदेश

(5) सी0डब्लू0जे0सी0 5467/1987 में दिनांक 19.01.1988 को पारित आदेश

(6) दाखिल खारिज वाद सं0 118/1985–86 का आदेश

(7) विविध वाद सं0 04/2001–02 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 17.06.2002 को पारित आदेश

(8) विविध वाद सं0 04/2001–02 में अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा दिनांक 11.09.2003 को पारित आदेश

(9) मो0 रफीउद्दीन एवं अन्य की जमाबंदी सं0 663, 138 एवं 1031 पर निर्गत क्रमश वर्ष 2003–04, 2006–07 एवं 2014–15 की लगान रसीद

विपक्षी का कथन है कि

(1) प्रस्तुत वाद कानून की दृष्टि से चलने योग्य नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) इस वाद के आवेदकगण के द्वारा विवादित भूखण्ड के लिए सब जज–1, दानापुर के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 27/2005 दायर किया गया था, जिसमें इस वाद के विपक्षी को भी पक्षकार बनाया गया था, परन्तु उक्त स्वत्व वाद दिनांक 20.02.2008 को निरस्त कर दिया गया। जिसके खिलाफ आवेदकगण के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की गयी।

(3) विपक्षी के द्वारा मो0 नईमुद्दीन से निबंधित केवाला सं0 4041 वर्ष 1984 एवं केवाला सं0 4043 वर्ष 1984 से विभिन्न खाता, खेसरा के भूखण्ड की खरीद की गयी। पुनः बीबी हस्तुन्निसा ने भी दिनांक 24.07.1985 के निबंधित बख्शीशनामा से विपक्षी के मौजा दौलतपुर सिमरी खेसरा सं0 1943 रकवा 40डी0 एवं खेसरा सं0 1956 रकवा $7\frac{1}{2}$डी0 लिख दिया। जिसके बाद विपक्षी विवादित भूखण्ड पर शांतिपूर्ण दखल में आये।

(4) निबंधित केवाला एवं बख्शीशनामा के आधार पर विपक्षी के द्वारा अंचलाधिकारी, बिहटा को दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। दाखिल खारिज वाद सं0 118/1985–86 के अन्तर्गत जाँचोपरान्त अंचल अधिकारी, बिहटा के द्वारा विपक्षी मोफीजुद्दीन के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी तथा लगान रसीद निर्गत की गयी।

(5) विवादित भूखण्ड मो0 नईमउद्दीन के द्वारा स्वंय वर्ष 1949, 1967, 1968, 1972 के विभिन्न केवालों से खरीदी गयी थी तथा उनके नाम से जमाबंदी कायम थी।

(6) मो0 नईमउद्दीन की जमाबंदी से खारिज कर विपक्षी के नाम से वर्ष 1985 में जमाबंदी कायम की गयी है, जिसे 33 वर्षो के बाद रद्द नहीं किया जा सकता।

(7) विपक्षी की जमाबंदी निबंधित वसीकों के आधार पर कायम है, अतः जब तक उन निबंधित वसीकों को रद्द नहीं किया जाता, तब तक विपक्षी की जमाबंदी को निरस्त नहीं किया जा सकता।

विपक्षी के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) स्वत्व वाद सं0 27/05 में दिनांक 20.02.2008 को पारित

आदेश

(2) स्वत्व वाद सं0 27/05 की याचिका
(3) दाखिल खारिज वाद सं0 118/85–86 का आदेश
(4) दिनांक 24.07.1985 का बख्शीशनामा
(5) दिनांक 24.02.1949 का केवाला
(6) दिनांक 28.06.1972 का केवाला
(7) दिनांक 28.03.1977 का केवाला
(8) दिनांक 16.12.1968 का केवाला
(9) दिनांक 06.04.1984 का केवाला

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) प्रश्नगत भूखण्ड को पुश्तैनी सम्पति मानते हुए, आवेदकगण के द्वारा उस पर अपने हिस्से का दावा किया जा रहा हे। आवेदकगण को इस हेतु सक्षम व्यवहार न्यायालय की शरण में जाना चाहिए।

(2) आवेदकगण के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड को लेकर स्वत्व वाद दायर किया गया था, परन्तु अदम पैरवी के कारण उक्त स्वत्व वाद निरस्त कर दिया गया।

(3) विविध वाद सं0 04/2001–02 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर एवं अंचलाधिकारी, बिहटा के द्वारा फरीकैन के बीच हिस्सा की घोषणा कर दी गयी है, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हिस्सा की घोषणा सक्षम व्यवहार न्यायालय से ही की जा सकती है।

(4) विपक्षी की जमाबंदी निबंधित वसीकों के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 118/1985–86 के आधार पर कायम है, जिसे तब तक अवैध नहीं कहा जा सकता, जब तक सक्षम व्यवहार न्यायालय के द्वारा संबंधित वसीके रद्द नहीं कर दिए जाते।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदकगण के द्वारा विपक्षी के लिए कायम जमाबंदी सं0 $\frac{434}{579}$ के संबंध में ऐसा कोई तथ्य/प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिससे उक्त जमाबंदी को अवैध माना जा सके। आवेदकगण का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

31/5/18
(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

31/5/18
(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना